

50 | HP | २०१४ | १०
8:15 PM
26.3.14

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

(गोप्य ७४) -

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम..... पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..... (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ५१

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या..... में क्रम संख्या..... पर प्रविष्ट

मेरा नाम..... है जो..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग.....
में क्रम संख्या..... पर प्रविष्ट है।

दिनांक.....

प्रस्तार.....

भाग - II

(मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद द्वारा '33 विकास' संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम रोजन्द्र कुमार सिंह पटेल / पिता / माता / पति का नाम रामदयाल, टिंड पाटान

उसका डाक पता स. १०८०- राजपुर शहर राजपुर जिला बंबलपुर

उसका नाम 33 विकास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजपुर

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं 200 क्रम संख्या 280 पर प्राप्त

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपर्युक्त है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या		
1	2	3	4	5	6
1	अधिकार	72	610	श्रीमुकुन चोहान	लिमुकुन चौहान 26.3.2014
2	अधिकार	72	603	मोहेन्द्र पाटान	मोहेन्द्र पाटान 26.3.2014
3	अधिकार	72	534	राधेश्यम पाटान	राधेश्यम पाटान 26,3,2014
4	अधिकार	72	625	गुरुद्व चौहान	गुरुद्व चौहान 26-3-2014
5	अधिकार	72	597	रामेश्वर पाटान	Rameshwar Patahan 26.3.2014
6	राजपुर	200	299	जेरैन्ड्र चौहान	जेरैन्ड्र चौहान 26.3.2014
7	राजपुर	208	1008	संतोष कुमार चौहान	संतोष कुमार चौहान 26-3-2014
8	राजपुर	208	998	हरेराम चौहान	हरेराम चौहान 26.3.14
9	राजपुर	39	208	सरोज कुमार	सरोज कुमार चौहान 26.3.14
10	राजपुर	39	817	रमबाबु चौहान	Rambabu chauhan 26.3.14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

मैं भाग I / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 48 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,
निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में ~~मानविक्षय समीकरण~~ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में ~~मानविक्षय समीकरण~~ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत * प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ
उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) लोकट (ii) कलाइ (iii) वराणी

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी feast (भाषा) का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाना हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अतिपिछड़ा अनु०-१ जाति/जनजाति का सदस्य

उस राज्य में के उत्तर बालू (क्षेत्र) शत्रुघ्नी से संबंधित अनुसूचित अतिपिछड़ा अनु०-१ जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

10/11/2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक 26.3.2014

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीचढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III – क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में, या
 (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर “हाँ” है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. शुल्क
- (ii) पुलिस स्टेशन डाक्टर्सपुर जिला (जिले) व्यवस्था राज्य विद्या
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
 उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था शुल्क
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) शुल्क
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था शुल्क
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित.....
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) शुल्क
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया शुल्क
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएँ) का निपटारा कर लिया गया था।
 लंबित है..... शुल्क
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शुल्क
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) शुल्क

हाँ/ नहीं

दिनांक 26.3.2014.

स्थान बिहार

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 50HP/2014/R0 यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में
26.3.2014 (तारीख) को 2.15 AM बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 26.3.2014

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

रघुनाथ कुमार 26.3.14
निर्वाची पदाधिकारी ऑफिसर
33-ब्रह्मपुर संसदीय निर्वाचन श्वेत

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

दिनांक
(छिद्रण)


रिटर्निंग ऑफिसर

प्रस्तुप 26

Sri/smt. Rakesh Kumar Singh (नियम 4के देखि ए,
Who is identified by Sri. P. S. Shalini
Advocate, Jharkhand affirmed
and witnessed before me,

KAVINDRA SINGH
NOTARY, DIST BUXAR

NO..... DATE..... TIME.....
3146 26/3/14 9:30 AM.



निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

राजनीति क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटिंग 3 बोसर
के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं राजनीति क्षेत्र में पार्टी... **पुत्र/पुत्री/पत्नी रामदयाल आय

सभा पार्टी रामदयाल जिला विधान

(डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं भाजपा विधाय मीटी (** राजनैतिक दल का नाम) हारा राजा किया
गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम उमर रामपुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग 200
के क्रम सं280 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क ईलाइन नं 9572339054 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

KAVINDRA SINGH (मेरा)
BUXAR
फैसला नं 24/3/14
Dated

है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि हैं तो) मरमुर १०८

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	AYLPC62A6K	शु.व	80,000/-
2	पति या पत्नी	शु.व	शु.व	शु.व
3	आश्रित-1	शु.व	शु.व	शु.व
4	आश्रित-2	शु.व	शु.व	शु.व
5	आश्रित-3	शु.व	शु.व	शु.व

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) की अभियुक्ति नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शु.व
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शु.व
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शु.व
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरवना की गई	शु.व
(ङ.) KAVI NUMBER 5103 B1000	तारीख (विवरणों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शु.व
(क)	कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शु.व

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद (i) मेरीत मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३२२
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने सज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सज्ञान लिया गया है।	३२२
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	३२२

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) मेरी निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है तो उसे दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	३२२-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	३२२-
(ग)	अधिरोपित दंड	३२२-
(घ)	इस सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	३२२-

* (८) मेरी पत्रिया पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देती हैं।
KAVINDRA SINGH
मेरी पत्रिया पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देती हैं।
★ देती हैं।
Govt. C

KAVINDRA SINGH
मेरी पत्रिया पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देती हैं।
★ देती हैं।
Govt. C

जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त रखामित्य की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	₹5,000	₹५०	₹५०	₹५०	₹५०
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹५०	₹५०	₹५०	₹५०	₹५०
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
(v)	कसी स्वस्ति या निकाय विनिधान कंपनी, न्यास आदि को दर गए अप्रिय अन्य विनिधान से अन्य रकम	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०



(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ थाट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	३००/-	३००/-	३००/-	१००/-	१००/-
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान यस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	३००/-	१००/- ५००/-पर्ति	३००/-	३००/-	३००/-
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/ हित का मूल्य	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
(ix)	समग्र कुल मूल्य	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टेप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टेप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
OT A.P.S.	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-
	KAVINDRA SINGH BUXAR के समय भूमि की	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-	३००/-

Regd. No. A.P. 10001 (प्रत्येक की दशा में)

J. PATNA



विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान

अनुमानित चालू बाजार मूल्य

विनिजियक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति

(अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)

क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)

निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)

(iii)

क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)

स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख

क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)

विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान

अनुमानित चालू बाजार मूल्य

आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति

(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)

क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)

निर्मित क्षेत्र

(वर्ग फुट में कुल माप)

(iv)

क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)

स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख

क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)

विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान

अनुमानित चालू बाजार मूल्य

KAWADH KALIYA का किसी संपत्ति में

BUXAR

Regd. No. 111730121

J. PATNA

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-

25/-


25/-

25/-

25/-

25/-

25/-



पूर्वोक्त (I) से (V) का
कुल चालू बाजार मूल्य

शुल्क

25/-

25/-


25/-

25/-

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :— कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	25/-	शुल्क	25/-	शुल्क	25/-
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	25/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	सरकारी शोध्य					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	आय-कर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	धनकर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	सेवाकर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	कोई अन्य शोध्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	KAVINDRA SINGH JUXAR BEGDAR OF MUNICIPAL CORPORATION J. PATNA	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	Govt. Of Bihar	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



का कुल योग					
iv क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	३०८	३०८	३०८	३०८	३०८

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं मात्राहुकी
 (ख) पति या पत्नी रुद्रेश

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-


क्लासर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण


1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु ० शोजेन्द्र कुमार शर्मा
2	डाक का पता	स्टॉ. ५५० - अमृता एवं राजपुर निमो - काशी
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३३ क्षेत्र बिहार
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारत विकास गैरियी
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सिंजास लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	३०८
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक KALIKA SINGH अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया (न्यायालय) प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा ८ की उपलब्ध सत्ता (३) उपधारा (२) उपधारा (३) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए	३०८



	स्थायी लेखा सं०	का वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शि०त आय
(क) अभ्यर्थी	शुल्क	शु.प	80,000/-
(ख) पति या पत्नी	शुल्क	शु.प	शु.प
(ग) आश्रित	शु.प	शु.प	शु.प

8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
ख	स्थावर आस्तियां	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प
9	साधित दायित्व सरकारी शास्त्र (कुल) RAVINDER SINGH BUKAR Date 11-11-1912 राविंद्र सिंह बुकर और अन्य	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प	शु.प



	से ऋण (कुल)	२३०१	२५०२	२४०३	२५०४	२५०५
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	२६०८	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	२५०८	२३०१	२५०५	२५०५	२५०५
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	२५०८	२१०८	२५०५	२५०८	२५०८

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता : २१०८

(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)


सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्पर्य तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा व की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति ना जाती है।

आज तारीख 26/3/19 को सत्यापित किया गया।



I declare my true signature
of Deponent who has eng
in my presence

Kavinder Singh

26/3/2012

Date 25/2/103

कविंदर सिंह

अभिसाक्षी

टिप्पणी-

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी-

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी-

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं’ जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-

6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9572339054.....

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है..... (22237131)

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... (22237131)

टिप्पणी-

7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्रस्तुप

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)]

[संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला]

मैं शपथ लिखता हूँ कि मैं लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमती राजेन्द्र प्रसाद शिंदे ने आज दिनांक 26

(माह) मार्च 2014 को बंगला (स्थान) पर

समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहार)

शपथ पत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र

[प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा]

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सभा अथवा लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
(नाम) ने (र)

बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा
अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।

(प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहार)

जो लागू न हो उसे काट दें।